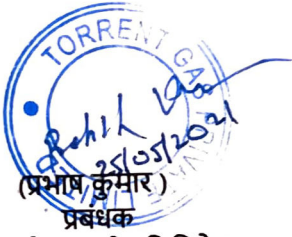


पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के पत्र दिनांक 18/03/2010 में उल्लिखित बिन्दुओं से सम्बंधित वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि टोरेंट गैस प्राइवेट लिमिटेड, मुरादाबाद द्वारा मुरादाबाद - चंदौसी मार्ग (एन0 एच0 - 509) के कि0 मी0 चैनेज 20.000 से 34.100 कि0 मी0 बायीं पटरी पर, मुरादाबाद - सम्भल मार्ग (एस0 एच0 - 148) के कि0 मी0 चैनेज 6.180 से 16.140 कि0 मी0 बायीं पटरी पर, मेरठ - बरेली मार्ग (ओल्ड एन0 एच0 24) के कि0 मी0 चैनेज 160.050 से 164.100 कि0 मी0 दायीं पटरी व कि0 मी0 चैनेज 166.000 से 174.900 कि0 मी0 बायीं पटरी, एवं मुरादाबाद - ठकुरद्वारा - काशीपुर मार्ग (न्यू एन0 एच0 - 734) के कि0 मी0 चैनेज 00.000 से 2.200 कि0 मी0 बायीं पटरी पर गैस पाइप लाइन बिछाई जाने हेतु 2.3544 है० संरक्षित वन भूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग हेतु कार्य प्रस्तावित है। गैर वानिकी कार्य का अनुमति पत्र जारी होने के पश्चात गैस पाइप लाइन बिछाये जाने का कार्य करते समय भारत सरकार के पत्र दिनांक 18-03-2010 द्वारा बिंदुवार दिशा निर्देशों का भी अनुपालन पूर्ण रूपेण किया जायगा।


(प्रभाष कुमार)
प्रबंधक

टोरेंट गैस प्राइवेट लिमिटेड
मुरादाबाद।


(कन्हैया मटेल)
प्रभाषी निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मुरादाबाद।